



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126382

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 17789 वर्ष 2026

सीपूआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : हरि नाथ चौबे

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 5

माननीय संजीव कुमार, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से पुलिस थाना- सजेती, जिला कानपुर नगर में मु.अ.सं. (मुकदमा अपराध संख्या) 15 वर्ष 2026, बी.एन.एस. की धारा 74, 115(2), 351(3), 326(जी) के तहत उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 16.01.2026 से जेल में है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के खिलाफ केवल छेड़छाड़ का आरोप है और आवेदक के साथ-साथ उसके परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल स्थानीय स्तर पर दुर्भावनापूर्ण इरादे

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के आधार पर समाज में उसे परेशान करने के लिए दर्ज की गई है। विवेचना के बाद, आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान ए.जी.ए. की परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार करते हुए और प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की विषयवस्तु को देखने के बाद, मेरा विचार है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
6. उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक- सीपू को 1,00,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - (i) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जिसका वह आरोपी है, या जिसके घटित होने का उस पर संदेह है।
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक इस आशय का एक वचनबद्ध पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और कानून के अनुसार आदेश पारित करने का विकल्प खुला रहेगा।
 - (iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए (तदनु रूप बीएनएस की धारा 269) के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (तदनुरूप बीएनएसएस की धारा 84) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए (तदनुरूप बीएनएस की धारा 209) के तहत कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक (1) मामले के खुलने, (2) आरोप तय होने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (तदनुरूप बीएनएसएस की धारा 351) के तहत बयान दर्ज होने के लिए निर्धारित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करने का विकल्प खुला रहेगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

जून 9, 2026

ए.एन. मिश्रा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"